प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2025

विषय:- आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गिरीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी जनपद-लखनऊ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-37351/प्रोबे0(2)-/259/2023(एम0-10.10.2023),दिनांक 09.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गिरीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, ग्राम-सराय करौरा, कस्बा, थाना-गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। वादीगण द्वारा बंदी गिरीश के खेतों की सिंचाई ट्यूबबेल से करने को मना कर दिया गया। इसी बात को लेकर दिनांक 30.06.1980 को बंदी अपने 01 अन्य सअभियुक्त के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की फरसा, बांका, देसी कट्टा व हाथगोला से हमला कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-366/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय ए0डी0एस0जे0-6, लखनऊ के आदेश दिनांक 19.05.1983 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत करते हुए आदेश दिनांक 04.12.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 20.09.2023 तक 19 वर्ष 05 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 08 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बंदी आयु 63 वर्ष, 03 माह 24 दिन है।

3- पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, लखनऊ एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा अपनी आख्या में अंकन किया गया है कि बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बंदी की समयपूर्व रिहाई से भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। बंदी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। बंदी की समयपूर्व रिहाई उपरांत शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि वादीगण द्वारा बंदी गिरीश के खेतों की सिंचाई ट्यूबबेल से करने को मना कर दिया गया। इसी बात को लेकर दिनांक 30.06.1980 को बंदी अपने 01 अन्य सअभियुक्त के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की फरसा, बांका, देसी कट्टा व हाथगोला से हमला कर हत्या कर दी। बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बंदी की समयपूर्व रिहाई से भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। बंदी पुनः अपराध करने में शारीरिक रूप से अशक्त न होने, बंदी की समयपूर्व रिहाई उपरांत शान्ति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण सम्भावना होने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गिरीश चन्द्र पुत्र मथुरा प्रसाद को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गिरीश चन्द्र (बन्दी सं0-14707) पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी जनपद-लखनऊ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-166/2025/2206(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (कि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 13.11.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।